न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्यामसुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1 / 199 / 2022 दायर दिनांकः—01 / 07 / 2022

जीसीएमएस न0ः—2022 / 454 निर्णय दिनांकः— 31 / 07 / 2025

वउनवान

1. मुरारीलाल पुत्र सुकला जाति मीना निवासी घोसराना
2. रामकिशोर पुत्र बुद्दा जाति मीना निवासी घोसराना तहसील कठूमर अलवर।

——————वादीगण

बनाम

1. रामहरी पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी घोसराना
2. हुकम पुत्र रामहरी जाति मीना निवासी घोसराना
3. रामस्वरूप पुत्र घम्मनराम जाति मीना निवासी घोसराना
4. रत्तीराम पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी घोसराना
5. रामचरण पुत्र जिन्सीराम जाति मीना निवासी घोसराना
6. विक्रम पुत्र तुलसी जाति मीना निवासी घोसराना तहसील कठूमर जिला अलवर।

————— प्रतिवादीगण

दावा दखलयावी व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थितः—श्री राधावल्लभ शर्मा एडवोकेट—अधिवक्ता वादीगण

श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट—अधिवक्ता प्रतिवादीगण

—ःनिर्णयः—

उपखण्ड अधिकारी

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दखलयाबी व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 1.32 हैक्टेयर, वाके ग्राम घोसराना तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी में प्रतिवादीगण जबर्दस्त व लडाका किस्म के व्यक्ति है जिन्होने विवादीत आराजी के तर्फ पूर्व उत्तर दक्षिण एक गटठा चौडाई की आराजी खसरा नम्बर 305 गैरमु0 आबादी तथा खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 306/310 मे वर्ष 2022 में बलीता ईधन लकडी पत्थर चक्की के रखकर नाजायज कब्जा कर लिया है तथा अब प्रतिवादीगण इसमें बाउण्ड्री का निर्माण कर टीन सेड डलवाने की कोशिश में है दीवार निर्माण का कार्य बदस्तूर जारी है इस तरह प्रतिवादीगण ने विवादीत आराजी के तरफ पूर्व उत्तर दक्षिण एक गटटा चौडाई की आराजी अपली आबादी के खसरा नम्बर 305व खातेदार के खेत संख्या 306-310 में मिलाकर नाजायज कब्जा कर लिया है पटवारी कानूनगो के द्वारा विवादीत आराजी की पैमाईस कराई गई पैमाईस मे वादीगण की विवादीत आराजी के तरफ पूर्व उत्तर दक्षिण एक गटठा चौडाई की आराजी प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 305 तथा खातेदारी के खेत मे दबी होना पाई गई है विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण से अपनी खातेदारी की दबी आराजी का कब्जा लौटाने को कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा साफ मना कर दिया गया। एवं प्रतिवादीगण ने कब्जा ना लौटाये जाने एवं खुले आम धमकी दी गई कच्चा पक्का निर्माण कार्य करेगें एवं तुम्हे शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगें।। अतः वादीगण ने विवादित आराजी के तरफ पूर्व उत्तर दक्षिण एक गटठा चौडाई की आराजी से बेदखल कर वादीगण को मौके पर कब्जा संभलवाया जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण को उपरोक्त आराजी के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जबरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करें तथा इससे किसी तरह का कच्चा पक्का निर्माण ना करें मुताबिक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 ला0 5 की तरफ से रामजीलाल शर्मा एड0 उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 6 की दिनांक 17.10.2025 को बार-बार आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

संख्या 1 ला0 5 को जवाब हेतु कई मौके दिये गये बावजूद मौके के जवाब पेश ना करने पर दिनांक 06.08.2024 को उनका जवाब बन्द किया गया। दिनांक 19.12.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ला0 5 को बार–2 आवाज दिलाई गई उनके तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2074 से 2077 की सत्यप्रतिलिपी एवं मौका पर्चा दिनांक 26.06.2022 पेश की है। जो शामिल पत्रावली है। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में वादी स्वयं द्वारा पीडब्लू–1 मुरारी व पीडब्लू–2 बलराम के बयान लेखबद्ध कराये गये एवं शामिल मिसल किये गये।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी वकील वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया जो आराजी वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी में प्रतिवादीगण जबर्दस्त व लडाका किस्म के व्यक्ति है जिन्होने विवादीत आराजी के तर्फ पूर्व उत्तर दक्षिण एक गटठा चौडाई की आराजी खसरा नम्बर 305 गैर मु0 आबादी तथा खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 306/310 मे बर्ष 2022 में बलीता ईधन लकडी पत्थर चक्की के रखकर नाजयज कब्जा कर लिया है तथा अव प्रतिवादीगण इसमें बाउण्ड्री का निर्माण कर टील सेड डलवाने की कोशिश में है दीवार निर्माण का कार्य बदस्तूर जारी है इस तरह प्रतिवादीगण ने विवादीत आराजी के तरफ पूर्व उत्तर दक्षिण एक गटटा चौडाई की आराजी अपली आबादी के खसरा नम्बर 305व खातेदार के खेत संख्या 306–310 में मिलाकर नाजायज कब्जा कर लिया है पटवारी कानूनगो के द्वारा विवादीत आराजी की पैमाईस दिनांक 26.06.2022 को कराई गई पैमाईस मे वादीगण की विवादीत आराजी के तरफ पूर्व उत्तर दक्षिण एक गटठा चौडाई की आराजी प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 305 तथा खातेदारी के खेत मे दबी होना पाई गई है विवादीत आराजी पर प्रतिवादीगण से अपनी खातेदारी की दबी आराजी का कब्जा लौटाने को कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा साफ मना कर दिया गया। एवं प्रतिवादीगण ने कब्जा ना लौटाये जाने एवं खुले आम धमकी दी गई कच्चा पक्का निर्माण कार्य करेगें एवं तुम्हे शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगें।। अतः वादीगण ने विवादित आराजी के तरफ पूर्व उत्तर दक्षिण एक गटठा चौडाई की आराजी से बेदखल कर वादीगण को मौके पर कब्जा संभलवाया जावे एवं

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण को उपरोक्त आराजी के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जबरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करें तथा इससे किसी तरह का कच्चा पक्का निर्माण ना करें मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

अतः वाद वादीगण पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रस्तुत मौका पेमाईश रिपोर्ट दिनांक 26.06.2025 से प्रमाणित होता है। जिसके कारण वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

अतः दावा वादी दखलयावी व हुक्मइन्तनाई दवामी साबित होने से वाद वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 1.32 हैक्टेयर, वाके ग्राम घोसराना तहसील कठूमर के तरफ पूर्व उत्तर दक्षिण एक गटठा चौडाई के रकबा से प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाया जाकर वादीगण को दखल दिलवाया जावे एवं उक्त खसरा नम्बर 318 रकबा 1.32 है0 वाके ग्राम घोसराना तहसील कठूमर में प्रतिवादीगण वादीगगण के कब्जे काश्त में किसी तरह का कोई व्यवधान ना डालें जबरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करे इसमें कोई कच्चा पक्का निर्माणँ कार्य नहीं करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)